

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं० 3/2019 वर्ष 2019
 राजस्थान सरकार बनाम अजय सिंह 10 वगैरह वगैरह का 2940
 प्रस्तुतिकरण दिनांक 18/2/19 निर्णय दिनांक 5/3/19
 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
5/3/19	<p>पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है।</p> <p>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 309B का प्रतिवेदन दिनांक 18/2/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अजय सिंह पुत्र अजय सिंह जाति अजय सिंह निवासी 2940 को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 2958A मु.नं. 189/412 कुल 0.506 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50 गुणा राशि 228 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 SBNK को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 5/3/19 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p>	
	<p>तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर</p> <p>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 38 की क्रम सं. 0.1 दिनांक 14-3-18 को 228 दर्ज किया गया।</p>	

ता 0 रा 0 ले 0

